रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2018/भाद्र 9, 1940
No. 611] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2018/BHADRA 9, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 31 अगस्त, 2018

सं. फेमा 22(आर)(1)/2018-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य करोबारी स्थल की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2018

सा.का.नि. 827(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 22(आर)/ 2016-आरबी के मार्फत यथा-अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य करोबारी स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य करोबारी स्थल की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2018 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम-5 में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य करोबारी स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2016 (31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 22(आर)/ 2016-आरबी) में, विनियम 5 में,

(ए) मौजूदा उप-विनियम **डी** को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

डी. *आवेदक विदेशी सरकार का गैर-सरकारी संगठन, लाभ-रहित संगठन, बॉडी/ एजेंसी/ विभाग है। तथापि, यदि ऐसी एंटीटी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत शामिल किसी गतिविधि में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सम्बद्ध है तो उन्हें उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और उन्हें इस विनियमावली के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।*

3. फॉर्म एफ.एन.सी. (अनुलग्न – सी) में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य करोबारी स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2016 (31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 22(आर)/ 2016-आरबी) में मौजूदा फॉर्म एफ़.एन.सी. के भाग-II में, "घोषणापत्र" शीर्षक के तहत दिये गए खंड (ii) के वाक्य की समाप्ति के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात :

"हम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत शामिल किसी भी गतिविधि में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं होंगे और हम यह भी समझते हैं कि इस संबंध में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की मिथ्या-प्रस्तुति अथवा अवास्तविक सूचनाएँ दिए जाने पर विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य करोबारी स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2016 के तहत दिया गया उक्त अनुमोदन आदितः निरस्त माना जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार के आनुमोदन को बिना किसी सूचना के वापस लिया जाएगा।

[फा. सं. 16/13/ईएम/2014-भाग-I]

आर. के. मूलचंदानी, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 31 मार्च 2016 को भारत सरकार के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में जी.एस.आर.सं. 384(अ) के तहत प्रकाशित की गयी थी।

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st August, 2018

No. FEMA 22(R) (1)/2018-RB

Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) (Amendment) Regulations, 2018

G.S.R. 827(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following amendments to the Foreign Exchange

Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016, Notification No. FEMA 22(R)/2016-RB dated March 31, 2016, namely:

1. Short Title and Commencement: -

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) (Amendment) Regulations, 2018.

(ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 5:

In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016 (Notification No. FEMA 22(R)/2016-RB dated March 31, 2016), in the Regulation 5,

(A) The existing sub-regulation d. shall be substituted by the following namely:

> *d. the applicant is a Non-Government Organisation, Non-Profit Organisation, Body/Agency/Department of a foreign government. However, if such entity is engaged, partly or wholly, in any of the activities covered under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA), they shall obtain a certificate of registration under the said Act and shall not seek permission under this regulation.*

3. **Amendment to Form FNC (Annex C):**

In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016 (Notification No. FEMA 22(R)/2016-RB dated March 31, 2016), in the existing form FNC (Annex C), in Part –II, under the heading 'Declaration', in clause (ii), at the end of the existing sentence, the following shall be added, namely:

> " We will not undertake either partly or fully, any activity that is covered under Foreign Contribution Regulation Act, 2010 (FCRA) and we understand that any misrepresentation made or false information furnished by us in this behalf would render the approval granted under the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016, automatically as *void ab initio* and such approval by the Reserve Bank shall stand withdrawn without any further notice".

[F.No. 16/13/EM/2014-Part-I]
R. K. MOOLCHANDANI, Chief General Manager

Foot Note:-The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.384 (E) dated March 31, 2016 in Part II, Section 3, sub-Section (i).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.05 16:10:12 +05'30'